I/424331/2023

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:जी.डी. रिकार्ड/रद्दी बिक्री/के-47/2023-24/भाग(1)　　　　दिनांक

निविदा सूचना संख्या-3/2023

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर की वर्ष 2023-24 की रद्दी की बिक्री हेतु फर्म /ठेकेदारों से सीलबद निविदाए आमंत्रित की जाती है । इच्छुक फर्म / ठेकेदार दिनांक 03.11.2023 तक प्रातः 11:00 बजे से 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता से निविदा की शर्तों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है, या कार्यालय की वेबसाईट agaerajasthan@cag.gov.in पर जा कर भी सूचना प्राप्त कर सकते है।

क्र. संख्या	रद्दी का प्रकार	दरें(रुपये में) प्रति क्विंटल
1	सफेद कागज	
2	रंगीन कागज	
3	किताबें/ अखबार	
4	गत्ते/ पुटठे	
5	झाडन	

उक्त प्रारुप में भरी हुई निविदायें दिनांक 07.11.2023 को दोपहर 03:00 बजे तक जमा करानी होगी एंव निविदाए उसी दिन दोपहर 3:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

ह./-

व.लेखाधिकारी/जी.डी रिकार्ड

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर

रददी की बिक्री सम्बन्धी शर्ते

1. यह ठेका दिनांक 01.12.2023 से 30.11.2024 तक के लिए होगा और दिनांक 30.11.2024 तक जो भी दफ्तरी कागज की रददी सफेद, रंगीन, झाडन, अखबार/अनुपयोगी पुस्तकें एवं गत्ते/पुटठे समय समय पर एकत्रित होगी, वह ठेकेदार को उठानी होगी उपरोक्त पांचो प्रकार की रददी हेतु अलग अलग दर प्रति क्विंटल देनी होगी।
2. निविदा **के साथ** रुपयें 50,000/– रुपये पचास हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रुप में **भुगतान एवं लेखाधिकारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर** को देय, संलग्न करना **होगा,** जो ठेके के संतोषजनक रुप में समाप्त होने के दो माह बाद वापिस किये जावेंगे। ठेकेदार द्वारा ठेके की कोई या समस्त शर्ते पूरी न होने पर अमानत की सम्पूर्ण राशि अथवा उसका कोई भाग जिसे **प्रधान** महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर उचित विचारें, जब्त की जा सकेगी। **एवं सवेंदक को इस कार्यालय की आगामी 01 वर्ष तक की निविदा मे भाग लेने से निषेध किया जा सकता है।** इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के **विवाद** की **स्थिति** में **प्रधान** महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
3. ठेकेदार को **वर्ष पर्यंत नियमित रुप से रद्दी फाडने हेतु मजदूर लगाने होगें, जो रद्दी को कम से कम चार टुकडो में फाडेंगे तथा समय-समय पर अपने मजदूरों द्वारा अपने बोरों में भरवाना एवं तुलवाने का कार्य अपने स्वयं के व्यय पर कराना होगा। रद्दी तुलवाने हेतु** कार्यालय का कांटा **खराब होने की अवस्था में अपने स्वयं के** व्यय पर इलेक्ट्रोनिक कांटे **के माध्यम से रद्दी तुलवाने की** व्यवस्था करनी **होगी।**

4. प्रत्येक तिमाही में ठेकेदार को 200 क्विंटल (मात्रा) माल उठाना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रत्येक तिमाही के बाद विलम्ब के लिए रुपये 200.00 प्रतिदिन दण्ड/शास्ति लागू करने का अधिकार इस कार्यालय को होगा।
5. ठेकेदार को इस कार्यालय से रददी **उठाने के** सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर राजकीय नियमानुसार जी.एस.टी. **अपने स्तर पर चालान द्वारा जमा कराकर उसके चालान की प्रति** एवं रददी के मूल्य **का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय में** जमा **कराकर** रददी उठानी होगी अन्यथा **प्रधान** महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर को बिना किसी पत्र व्यवहार किये ठेका **रद्द करने** तथा रददी अन्य किसी पार्टी को बेचने का विवेकाधिकार होगा। इस कारण से सरकार को होने वाली हानि ठेकेदार से वसूल की जावेगी। यदि ठेकेदार इस कार्यालय से निर्दिष्ट दिनांक तक **या** रददी उठाने की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर रददी नहीं उठाता है तो **प्रधान** महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ठेकेदार पर निर्दिष्ट दिनांक के बाद विलम्ब से प्रत्येक दिन के लिए रुपयें 200.00 दो सौ मात्र प्रतिदिन की दर से दण्ड/शास्ति **वसूल** करने के अधिकारी होंगे।
6. राशि के ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक अदायगी पर ही माल दिया जावेगा, धरोहर राशि में से उस हेतु राशि का समायोजन की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. ठेकेदार को निविदा में दी गयी क्रय राशि के अलावा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से जी.एस.टी. अलग **से अपने स्तर पर चालान के माध्यम से जमा करानी होगी ।**
8. **समान दर आने पर** ठेकेदार की अगर स्वयं की लुग्दी बनाने की **मिल** है तो उसको वरियता प्रदान की जाएगी।
9. ठेकेदार को रददी किसी कागज बनाने वाली मिल को ही लुग्दी बनाने के लिये देनी होगी, ठेकेदार को अपनी मिल में, यदि हो तो, लुग्दी बनाने के काम में ही लेना होगा। ठेकेदार को माल की **अगली** खेप उठाने से पूर्व प्रमाणित करना होगा कि उसने पूर्व में जो रददी ली थी, वह कागज बनाने वाली मिल को लुग्दी बनाने

के लिये दी गयी थी या उसने स्वयं की कागज मिल में लुग्दी बनाने हेतु प्रयोग में लिया गया। (जिसका प्रमाण पत्र भी प्रेषित करना होगा।)

10. ठेकेदार को सरकारी एवं अर्धसरकारी क्षेत्र में रददी उठाने का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है साथ ही उन्हें यह भी दर्शाना होगा कि उनके द्वारा वर्ष में कितना माल सरकारी एवं अर्धसरकारी क्षेत्र से उठाया गया है। **इसके समर्थन में आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना होगा।**
11. इस अनुबन्ध की किसी भी शर्त की अनुपालना न करने पर क्रेता को बिना सूचना दिये अनुबन्ध रदद करने का पूर्ण अधिकार विक्रेता को होगा और तत्कारण विक्रेता को होने वाली समस्त हानि का उत्तरदायित्व क्रेता पर होगा।
12. ठेकेदार/फर्म को **उपर्युक्त** शर्तो सम्बन्धी एक अनुबन्ध रुपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय के साथ करना होगा।
13. **विवाद की स्थिति में समस्त प्रकरणों में न्यायिक क्षेत्र जयपुर राजस्थान होगा।**

व.लेखाधिकारी
जी.डी रिकार्ड

Signed by Omprakash Sharma
Date: 25-10-2023 14:46:42
Reason: Approved